रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 223

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 80] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 5, 1970/वैशाख 15, 1892

No. 80] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 5, 1970/VAISAKHA 15, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

LOK SABHA

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th May 1970

No. 48/1/CI/70.—The following paragraph published in the Lok Sabha Bulletin—Part II, dated the 4th May, 1970 is hereby published for general information :—

"No. 1674

Direction by the Speaker Under the Rules of Procedure of Lok Sabha

In pursuance of Rule 389 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Fifth Edition), the Speaker has issued the following direction:—

'124A. *Maintenance of order within Parliament House Estate.*—(1) The Watch and Ward Officer of Lok Sabha shall be responsible for maintaining order within the compound of the Parliament House Estate and shall take all necessary steps to ensure that no obstruction or hinderance is caused to Members of Parliament in that area, in coming to or going from, the Parliament House.

(2) In order to keep the area and passages within the Parliament House Estate free and open for Members of Parliament without any obstruction or hinderance, the following activities are prohibited within the area of the Parliament House Estate:—

(i) holding of any public meeting;

(ii) assembly of five or more persons;

(iii) carrying of fire arms, banners, placards, lathies, spears, swords, sticks, brick-bats;

(iv) shouting of slogans;

(v) making of speeches etc.;

(vi) processions or demonstrations;

(vii) picketing or dharna;

(viii) any other activity or conduct which may cause or tend to cause any obstruction or hinderance to Members of Parliament.

(3) The Watch and Ward Officer of Lok Sabha may, subject to the instructions or permission of the Speaker, request the police to assist him in maintaining order in the Parliament House Estate as and when considered necessary.'

[To be inserted after direction 124 of the Directions by the Speaker under the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Second Edition).]

S. L. SHAKDHER,
Secretary."

लोक-सभा

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मई 1970

संख्या 48/1/सी I/70.—निम्नलिखित पैरा जो दिनांक 4 मई 1970 के लोक सभा समाचार –भाग 2 में प्रकाशित हुआ था, एतद्द्वारा सामान्य जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :

"संख्या 1674

लोक-सभा के प्रक्रिया नियमों के अधीन अध्यक्ष द्वारा दिए गए निदेश

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों (पांचवां संस्करण) के नियम 389 के अनुसरण में अध्यक्ष ने निम्नलिखित निदेश दिया है :—

'124. क- संसद् भवन सीमा क्षेत्र में व्यवस्था बनाए रखना.—(1) लोक-सभा का सुरक्षा तथा प्रतिपालन अधिकारी (वाच एंड वार्ड आफिसर) संसद्-भवन के सीमा क्षेत्र में व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा और वह यह सुनिश्चित करने के लिए हर सम्भव कार्यवाही करेगा कि संसद् सदस्यों को संसद् भवन में आने अथवा वहां से जाने में कोई बाधा अथवा अड़चन न हो।

(2) संसद् भवन का सम्पूर्ण क्षेत्र और सभी मार्ग संसद्-सदस्यों के लिए किसी बाधा अथवा अड़चन से मुक्त और खुले रखने के लिए संसद् भवन सीमा क्षेत्र में निम्नलिखित गतिविधियां निषिद्ध हैं :—

(एक) सार्वजनिक सभा का आयोजन ;

(दो) पांच अथवा इससे अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना ;

(तीन) आग्नेय अस्त्र, झण्डे, इश्तिहार, लाठियां, भाले, तलवारें, डंडे, ईंट-पत्थर, आदि ले कर चलना ;

(चार) नारे लगाना ;

(पांच) भाषण आदि देना ;

(छः) जलूस अथवा प्रदर्शन ;

(सात) प्रवेशरोधन अथवा धरना ;

(आठ) कोई अन्य गतिविधि अथवा आचरण जिससे संसद् सदस्यों के लिए बाधा अथवा अड़चन उपस्थित हो अथवा होने की आशंका हो ।

(3) लोक-सभा का सुरक्षा तथा प्रतिपालन अधिकारी, अध्यक्ष के अनुदेशों अथवा अनुज्ञा के अन्तर्यंत, संसद्-भवन सीमाक्षेत्र में व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस से, जब भी आवश्यक हो, सहायता के लिए प्रार्थना कर सकता है ।'

[लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के अधीन अध्यक्ष द्वारा दिए गए निदेशों (दूसरा संस्करण) के निदेश 124 के पश्चात् अन्तःस्थापित किया जायेगा ।]

श्याम लाल शकधर,
सचिव ।"

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970